यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 24 नवंबर 2020, मंगलवार को अपराह्न 4 बजे ईसीजीसी लिमिटेड की 62वीं वार्षिक सामान्य बैठक का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (OAVM) से कोविड 19 महामारी के कारण तथा कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय द्वारा दिनांक 08 अप्रैल 2020, 23 अप्रैल 2020 व 5 मई 2020 को जारी परिपत्र क्रमांक क्रमशः 14/2020, 17/2020 एवं 20/2020, दिनांक 08 सितंबर 2020 को कंपनी रजिस्ट्रार, मुंबई के आदेशानुसार निम्नलिखित कार्यों को पूर्ण करने के लिए किया जाएगा:

सामान्य कार्य:

1. निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करते हुए दिनांक 31 मार्च 2020 के अनुसार कंपनी की बेलेंस शीट, उस तारीख को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए राजस्व खाता एवं लाभ हानि खाता तथा निदेशकों एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करना व उसे स्वीकृत करना:-

"यह प्रस्ताव पारित किया गया कि सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ, जिसमे महा लेखा परीक्षक के निदेशक (सी ए जी), सी ए जी की टिप्पणियाँ, सदस्यों को सौंपी गई निदेशकों की रिपोर्ट 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष की लेखा परीक्षित बैलेंस शीट एवं 31 मार्च 2020 समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए राजस्व खाता एवं नफा और नुक्सान खाता को तदनुसार प्राप्त किया जाए व अपनाया जाए।"

2. निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करते हुए कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 142 के साथ पढे जाने वाले धारा 139 (5) के अंतर्गत भारत के महालेखा नियंत्रक के द्वारा नियुक्त किए गए कंपनी के शाखा लेखा परीक्षक एवं संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को निर्धारित किया जाए-

ई सी जी सी लि. मुंबई MUMBAI ECGC Ltd.

"यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 142 के साथ पढे जाने वाली धारा 139 (5), जिसे कि समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है, एवं दिनांक सितंबर 09, 2020 को नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा वर्णित पत्र क्रमांक CA.V/COY/CENTRAL GOVERNMENT, ECGC(65)/1524 मे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए नियुक्त कंपनी के शाखा लेखा परीक्षक एवं संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक को कंपनी के सदस्यों के अनुमोदन से परिश्रमिक दिया जा सकता है (रु.7,60,000 के परिश्रमिक के साथ एस एन के एंड कंपनी, एफ़आरएन- 109176 को एवं रु.7,60,000 के परिश्रमिक के साथ एबीएम एंड असोसिएट्स एलएलपी, FRN 105016W/ W-100015)।

यह प्रस्ताव भी पारित किया गया कि संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक कंपनी के 63वीं वार्षिक सामान्य बैठक के समापन तक कंपनी में रहेंगे।"

निदेशक मण्डल के निर्देशानुसार
कृते ईसीजीसी लिमिटेड

स्मिता 19/11/2020

(स्मिता पंडित)
कंपनी सचिव

दिनांक: नवंबर 19, 2020
स्थान: मुंबई

पंजीकृत कार्यालय:
एक्स्प्रेस टावर, 10वीं मंजिल,
नरीमन पॉइंट,
मुंबई - 400021.

ईसीजीसी लि. मुंबई MUMBAI ECGC Ltd.

टिप्पणियाँ:

1. कोविड- 19 के महामारी को ध्यान में रखते हुए कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय ("एमसीए") ने दिनांक 05.05.2020 को जारी परिपत्र क्रमांक 20/2020 में सामान्य स्थल पर भौतिक उपस्थिती के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) / अन्य आडिओ विजुअल माध्यम (ओएवीएम) के द्वारा बैठक करने की अनुमति प्रदान की गई। उसी अनुसार कंपनी की एजीएम भौतिक उपस्थिती के बिना वीसी/ ओएवीएम के द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।
2. वीसी/ ओएवीएम के द्वारा एजीएम किए जाने के कारण प्रॉक्सि की नियुक्ति की कोई आवश्यकता नही है इसलिए, प्रॉक्सि को सूचना के साथ संलग्न नही किया गया है।
3. वीसी / ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा।
4. 62 वीं एजीएम में भाग लेने के लिए वेब-लिंक कंपनी के साथ पंजीकृत सदस्यों के ईमेल पते पर अलग से भेजा जाएगा। सुरक्षा कारणों से, सदस्यों को आवश्यक है कि वे वेब लिंक / मीटिंग आईडी और पासवर्ड को किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और लॉगिन क्रेडेंशियल्स को सुरक्षित रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें।
5. एमसीए परिपत्रों के अनुसार, कंपनी सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए वीसी सुविधा प्रदान कर रही है। बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए सदस्यों को अच्छी इंटरनेट स्पीड वाले लैपटॉप / डेस्कटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
6. उपरोक्त एमसीए परिपत्र के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2019- 20 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से कंपनी के साथ पंजीकृत सदस्यों के ईमेल पते पर भेजी जा रही है। नोटिस और / या वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति किसी भी सदस्य को नहीं भेजी जाएगी। सदस्य ध्यान दें कि नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 की प्रति कंपनी की वेबसाइट www.ecgc.in पर भी उपलब्ध होगी।

ईसीजीसी लि. मुंबई MUMBAI ECGC Ltd.

7. चूंकि एजीएम वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित किया जाएगा, बैठक के स्थल के लिए रूट मैप इस नोटिस के लिए संलग्न नहीं है।

8. एजीएम के दौरान वे सदस्य जो कि "संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं का रजिस्टर जिसमे निदेशक रुचि रखते हैं" का निरीक्षण करना चाहते हैं वे अपना आवेदन दिनांक नवंबर 20, 2020 अथवा उससे पूर्व लिखित में कंपनी को cs@ecgc.in पर भेज सकते हैं। रजिस्टर अधिनियम की धारा 189 के अंतर्गत बनाया गया है एवं एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध होगा।

9. खातों या इस एजीएम में निपटाए जाने वाले किसी भी मामले के बारे में किसी भी जानकारी / स्पष्टीकरण हेतु सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे 20 नवंबर, 2020 को या उससे पहले cs@ecgc.in पर लिखें।

10. वह सदस्य जो कि उनके विचार / प्रश्न अभिव्यक्त करना चाहते हैं वे दिनांक 20 नवंबर 2020 अथवा उससे पूर्व cs@ecgc.in पर उनके रजिस्टर्ड ई-मेल आईडी से ई-मेल करके उनका नाम, ई-मेल आईडी व मोबाइल नं. का उल्लेख करते हुए वक्ता के रूप में स्वयं को पूर्व-पंजीकृत कर सकते हैं।

निदेशक मण्डल के निर्देशानुसार
कृते ईसीजीसी लिमिटेड

स्मिता 19/11/2020

(स्मिता पंडित)
कंपनी सचिव

दिनांक: नवंबर 19, 2020
स्थान: मुंबई

पंजीकृत कार्यालय:
एक्स्प्रेस टावर, 10वीं मंजिल,
नरीमन पॉइंट,
मुंबई - 400021.

ईसीजीसी लि. मुंबई MUMBAI ECGC Ltd.